तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज चन्द्रशेखर बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार तिंवरी) सू.अ.अ. अपील संख्या 168 / 2017	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.11.17	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी चन्द्रशेखर पुत्र सोमदान पता पुलिस थाना कालन्द्री जिला सिरोई ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 15.09.17.2017 में उसके द्वारा (1) गावं नेरवा चारणान् आम रास्ता खसरा नं. 239 नेरवा चारणान से मांलूगा जाने वाले रास्ते से संबधित आज दिन तक कितने प्रार्थना–पत्र (रिपोर्ट) आपके कार्यालय में प्राप्त हुई की संख्या व इस पर आज दिन तक की गई सम्पूर्ण कार्यवाही की प्रमाणित प्रतियां अलग–अलग (2) दिनांक 31.12.16 को राज्य सरकार द्वारा चलायेगये कैम्प में चन्द्रशेखर द्वारा कितनी रिपोर्ट पेश हुई व इस संबंध में की गई कार्यावाही की प्रमाणित प्रति व (3) आज दिन तक सिमाज्ञान की मौका फर्द बाद विस्तृत रिपोर्ट इतने प्रकराणों में भूमि जैलू गगाड़ी द्वारा बनायी गई मौका फर्द के बाद विस्तृत रिपोर्ट अलग से व एक दिन बाद बनाने का प्रावधान है या नहीं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार तिंवरी) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार तिवरी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार तिवरी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अपीलार्थीपक्ष की ओर से लिखित बहस पेश हुई जिसमें बतलाया कि उसने आम रास्ता नेरवा चारणान खसरा नम्बर 229 से संबंधित सिूचना चाही गइ थी उक्त चाही गई सूचना में मेरे द्वारा पैन मिस्टेक होने से खसरा नम्बर 229 की जगह 329 हो गया मगर आम रास्ता नेरवा चारणान लिखा होने के बावजूद व मेरे द्वारा हस्ताक्षर किये हुए मौका फर्द की मांग की गई थी। चूंकि प्रार्थी / अपीलार्थी ने इस अपील के संलग्न पूर्व प्रार्थना–पत्र दिनांक 15.09.17 पेश की गई उसमें खसरा नं. 239 से संबंधित सूचना चाही गई जो अपीलार्थी ने अपील में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। चाही गई सूचना एवं प्रस्तुत बहस के तथ्य मेल नहीं रखते है परन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई, रिपोर्ट प्रेषित नहीं की अतः न्यायहित में अपील स्वीकार करते हुए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार तिवंरी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के उक्त बिन्दुओं से संबंधित प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। ओदश सुनाया गया।	